

55/2018

22/10/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दरतावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थी/वादीनी की ओर से खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थनी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्विष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थनी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कांशतकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.6.2018 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

